न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

भंवरसिंह पुत्र छाजू जाति राजपूत, निवासी नादौती जिला करौली राज. – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–23.10.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री भंवरसिंह पुत्र छाजू जाति राजपूत निवासी नादौती थाना नादौती जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश दिनांक 27.05.2007, जिसके द्वारा श्री राजपूत का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, एवं जिला पुलिस अधीक्षक करौली के पत्र क्रमांक 2675 दिनांक 23.04.2010 की अनुशंषा के आधार पर 26 शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलंबित रखते हुए आदेश क्रमांक–न्याय/2010/2089 दिनांक 13.05.2010 द्वारा शेष अनुज्ञापत्रों को निलंबन से बहाल किया गया था, के विरूद्ध अपील संख्या 15/2011 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 28.02.2011 को निर्णय पारित करते हुये श्री राजपूत की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री राजपूत को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री राजपूत को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस के दौरान श्री राजपूत ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलंबित करते समय उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट प्राप्त कर एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। श्री राजपूत के विरुद्ध थाना नादौती में दर्ज मुकदमा संख्या 14/10 में श्री राजपूत को राजीनामा व संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जा चुका है। अंत में श्री राजपूत को जारी शस्त्र लाइसेन्स को बहाल करने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन को मध्येनजर रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। श्री राजपूत के विरुद्ध थाना नादौती में मु.नं. 14/10 दिनांक 09.02.2010 को अंतर्गत धारा 323,341,336,34 पंजीकृत हुआ था जिसके कारण श्री राजपूत का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित किया गया था। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त रखे जाने का कथन किया है।

23/10/19

जिला कलक्टर
करौली

पुलिस अधीक्षक, करौली ने रिपोर्ट क्रमांक ल–1/( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2019/10596 दिनांक 24.09.2019 द्वारा अवगत कराया है कि श्री राजपूत के विरुद्ध थाना नादौती में मु.सं. 14/10 दिनांक 09.02.2010 को अंतर्गत धारा 323, 341, 336, 34 आई.पी.सी. में दर्ज हुआ जिसमें चार्जशीट नं. 08 दिनांक 26.02.2010 धारा 323,341,336 आई.पी.सी. में पेश न्यायालय किया गया। श्री राजपूत को न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.03.2013 द्वारा धारा 323,341 आई.पी.सी. में राजीनामा के आधार पर एवं धारा 336 आई.पी.सी. में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। अंत में श्री राजपूत को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंषा के साथ अपनी अनापत्ति प्रेषित की है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय दिनांक 27.05.2007 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलंबित कर शस्त्र जमा करवाने बाबत् आदेश जारी किया गया था। आंदोलन समाप्ति उपरांत शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाली के संबंध में पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट प्राप्त की गईं। श्री राजपूत के विरुद्ध थाना नादौती में मु.नं. 14/2010 अंतर्गत धारा 341,323,336,34 दर्ज होने के कारण श्री राजपूत का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित रखा गया था। न्यायालय द्वारा श्री राजपूत को आदेश दिनांक 19.03.2013 द्वारा धारा 341,323 आई.पी.सी. में राजीनामा के आधार पर एवं धारा 336 आई.पी.सी. में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। श्री राजपूत के द्वारा अपराध कारित नहीं करना न्यायालय द्वारा कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम श्री राजपूत का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री राजपूत को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1030/आर्म्स/75 नवीन नं. 46/आर.नं./सवाईमाधोपुर/91 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

23/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली